ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBIL04292
RNI REG. NO. UPBIL/2014/66218 **PP. No.- 167-169**
I S S N NO. - 2347 – 2944 (Print)
e–I S S N NO.- 2582 – 2454 (Online)
Vol.-19, No.-II, Issues-36, YEAR-April-June. 2025

असंगठित क्षेत्र में कार्यरत कामगारों का कानून और उनमें जागरूकता का अध्ययन : मुजफ्फरपुर नगर के सदर्भ में समाजशास्त्रीय अध्ययन

1. अब्दुल मन्नान
2. डॉ० आर्य प्रिय

1.शोधअध्येता– समाजशास्त्र, 2. सहायक प्राध्यापक एवं अध्यक्ष, स्नातकोत्तर समाजशास्त्र विभाग, बी० आर० ए० बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर (बिहार) भारत

Received-11.05.2025, Revised-18.05.2025, Accepted-24.05.2025 **E-mail : mannan.abdul131@gmail.com**

सारांशः *वर्तमान समय में देश एवं राज्य दोनों ही क्षेत्रों में बेरोजगारी की समस्या अपने चरम सीमा पर है। इस स्थिति में ग्रामीण एवं नगरीय दोनों ही क्षेत्रों में प्रायः दैनिक प्रवासी श्रमिकों की संख्या जहाँ एक तरफ बढ़ती जा रही है, जिसका साक्ष्य हमें विभिन्न चौक–चौराहों पर श्रमिकों की बढ़ती संख्या के रूप में देखने को मिलती है। वहीं दूसरी तरफ ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्र के शिक्षित/अल्प शिक्षित कामगार कम आय में अत्यधिक श्रम करने को मजबूर हैं जिनका स्पष्ट प्रमाण हमें विभिन्न दुकानों एवं प्रतिष्ठानों में कार्यरत कामगारों के रूप में देखने को मिलता है। इन्हें एक न्यूनतम पारिश्रमिक से भी कम पारिश्रमिक के रूप में वेतन मिलता है तथा वे मजबूरन विकल्प के अभाव में अत्यधिक कार्य करने को बाध्य है। इसका मूल कारण है उनके समक्ष उपजी बेरोजगारी की समस्या है यदि वे जो कार्य कम आय में कर रहे हैं उसे छोड़ने पर उन्हें तुरन्त कहीं अवसर नहीं मिल पाता है।*

प्रायः ऐसे कामगारों की आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय होती है क्योंकि वे अपने साहूकार व प्रबन्धक वर्ग के आर्थिक कर्ज व अग्रिम वेतन भुगतान के नीचे दबा हुआ पाया जाता है। उनकी आमदनी इतनी नहीं होती है कि एक परिवार को सही से भरण–पोषण कर सकें, इसलिए उन्हें अग्रिम राशि कर्ज के रूप में लेनी पड़ती है। साहूकार व प्रबन्धक भी अग्रिम राशि देकर उन्हें उलझाना चाहते हैं जिससे कि वे वहाँ से कार्य छोड़ कर न जाय। इनके लिए कई कानून भी बने हैं जिसके प्रति इनमें जागरूकता का अभाव देखने को मिलती है। ऐसे बहुत युवा व कामगार हैं जो आठ से दस हजार प्रतिमाह की नौकरी के लिए दस से बारह घण्टे कार्य करते हैं। इनके उपर दबाव इतना अधिक होता है कि वे आर्थिक शोषण के शिकार बने रहते हैं और इनका कोई संगठन नहीं होने के कारण ये अपनी बातों को कहीं भी रख पाने में भी असमर्थ है जिसका प्रभाव इनके शारीरिक स्वास्थ्य के उपर तनाव व अवसाद के रूप में देखने को मिलता है।

कुंजीभूत शब्द– असंगठित क्षेत्र, कार्यरत कामगारों का कानून, बेरोजगारी, चरमसीमा, दैनिक प्रवासी श्रमिक, अत्यधिक श्रम

भारत देश में असंगठित क्षेत्र से बड़ी आबादी जुड़ी हुई है। आज के समय में देश एवं राज्यों की बात की जाए तो बेरोजगारी की समस्या दिन–प्रति–दिन बढ़ती जा रही है। कार्ल मार्क्स ने कहा था की जब तक कामगारों की उत्पादकता में स्वामित्व में हिस्सेदारी या उसके उत्थान को ध्यान में नहीं रखेगें तब तक एक बड़ी आबादी का उद्धार नहीं हो सकता है। मगर जैसा की भारत सरकार की आकडों की बात करें तो उनके अनुसार आज भारत में 92 प्रतिशत लोग असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत है और असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत कामगारों के लिए भारत सरकार ने कानून बनाए है कि यदि कोई कामगार से या श्रमिक से कार्य लेता है तो उसको 8 (आठ) घण्टें तक कार्य करना है। तो उसको 360 रु0 प्रतिदिन की दर से उसका मासिक वेतन निर्धारित किया गया और इसके अलावा सप्ताह में एक दिन अवकाश की बात कही गई है (भारत सरकार, 2024)। प्रायः आज की वर्तमान स्थिति देखें तो ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता है कि कामगारों से 10 से 12 घण्टो से कम कार्य नहीं लिया जाता है। यह आज की वास्तविक स्थिति है चाहे उसकी जागरूकता का अभाव हो या उसकी वस्तु स्थिति मजबुरी हो कि सी भी कारण हो उसकी मजबूरी का लाभ लिया जा रहा हो या श्रमिक को जानकारी ना होने का भी लाभ उठाया जा रहा है (राहोन्दा, 1988)। आज यह पूरे भारत देश में चरम पर है। जिसके कारण इस प्रकार श्रमिकों एवं कामगारों की स्थिति बहुत ही दयनीय है।

मनोज मिश्रा ने असंगठित नगरीय श्रम बाजार में बाल श्रमिकों की आय एवं रोजगार का विश्लेषण से संबंधित अध्ययन के आधार पर सामाजिक मुद्दे नामक पुस्तक में बताया कि वर्तमान में नगरीय श्रम बाजार में रोजगार की प्रकृति के आधार पर बाल श्रमिकों का प्रचलन बढ़ा है। उन्होंने बताया कि 13 से 14 साल का बालक दुकानों/प्रतिष्ठानों में उतना ही कार्य करता है जितना कि वयस्क आदमी। उनका कहना है कि इन बाल श्रमिकों को कम आय भी दिया जाय तो ये कार्य करने को राजी हो जाते हैं – खासकर किराना दुकान, कपड़ा दुकान, होटल इत्यादि। कुछ ऐसे भी कामगार हैं जो अपने परिवार के लड़कों को भी दुकानों एवं प्रतिष्ठानों में काम कराने को मजबूर हैं। उनका मानना है कि दोनों मिलकर उतना आय कर लेते हैं जितना कि परिवार का भरण पोषण हो सके (मिश्रा एवं मनोज, 2015)।

माधव शर्मा ने अपने अध्ययन के आधार पर गाँव कनेक्शन पत्रिका एवं रेडियो प्रसारण के माध्यम से बाताया कि 12–14 घंटे काम करते हैं मजदूर ईंट–भट्टों पर काम करने वाले मजदूर रोजाना 12–14 घंटे तक काम करते हैं। अगर ईंट ज्यादा बनेंगी तो मजदूरी भी ज्यादा मिलेगी इसीलिए पेशगी जल्दी चुकाने के लिए मजदूर लगातार काम करते हैं। मजदूरी के नाम पर इन्हें 50 पैसे प्रति ईंट यानी 500 रुपए प्रति एक हजार ईंट दी जाती है। मजदूरों ने बताया कि दो लोग एक दिन में दो हजार ईंट बनाते हैं। साथ ही अगर उनका एक बच्चा मजदूरी कर रहा है तो उसे भी 100–120 रुपए मजदूरी दी जाती है (शर्मा, माधव, जनवरी 2022 – संपादक गाँव कनेक्शन पत्रिका)।

वर्तमान समय में देश एवं राज्य दोनों ही क्षेत्रों में बेरोजगारी की समस्या अपने चरम सीमा पर है। इस स्थिति में ग्रामीण एवं नगरीय दोनों ही क्षेत्रों में प्रायः दैनिक प्रवासी श्रमिकों की संख्या जहाँ एक तरफ बढ़ती जा रही है, जिसका साक्ष्य हमें विभिन्न चौक–चौराहों पर श्रमिकों की बढ़ती संख्या के रूप में देखने को मिलती है। वहीं दूसरी तरफ ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्र के शिक्षित/अल्प शिक्षित कामगार कम आय में अत्यधिक श्रम करने को मजबूर हैं जिनका स्पष्ट प्रमाण हमें विभिन्न दुकानों एवं प्रतिष्ठानों में कार्यरत कामगारों के रूप में देखने को मिलता है। इन्हें एक न्यूनतम पारिश्रमिक से भी कम पारिश्रमिक के रूप में वेतन मिलता है तथा वे मजबूरन विकल्प के अभाव में अत्यधिक कार्य करने को बाध्य है। बिहार सरकार के श्रम संसाधन विभाग ने अप्रैल 2022 (labour.bih.nic.in) में न्यूनतम मजदूरी की नई राशि तय की जिसके तहत अकुशल कामगारों को 318 रूपया प्रतिदन, अर्द्ध कुशल कामगारों को 330 रूपया प्रतिदिन, कुशल कामगारों को 403 रूपया प्रतिदिन तथा उच्च कुशल कामगारों को 492 रूपये प्रतिदनि देने

अनुरूपी लेखक/ संयुक्त लेखक

I S S N NO. - 2347 – 2944 (Print)
e–I S S N NO.- 2582 – 2454 (Online)
Vol.-19, No.-II, Issues-36, YEAR-April-June. 2025

का प्रावधान है। इसके साथ ही सुपरवाइजर व क्लर्कीय स्तर के लिए 340 प्रतिदिन देने का प्रावधान है। असंगठित क्षेत्र में कार्यरत युवाओं को इससे कम आय दी जा रही है। इसका मूल कारण है उनके समक्ष उपजी बेरोजगारी की समस्या है यदि वे जो कार्य कम आय में कर रहे हैं उसे छोड़ने पर उन्हें तुरन्त कहीं अवसर नहीं मिल पाता है। असंगठित क्षेत्र में कार्यरत कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 तैयार की गयी (सचदेवा, 2009)। अधिनियम के खण्ड3 (2) के अनुसार अधिनियम की अनुसचि एक में शामिल की गई योजनाओं कों अधिनियम के अंतर्गत कल्याण योजनाओं के समान माना गया, जो निम्नलिखित है :

इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना; राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना; जननी सुरक्षा योजना; हथकरघा एवं बुनकर समेंकित कल्याण योजना; हस्तशिल्प कररीगर समेकित कल्याण योजना; मास्टर क्रॉफ्ट पर्सन को पेंशन; मछुआरों के कल्याण, प्रशिक्षण और विस्तार हेतु राष्ट्रीय योजना; जनश्री बीमा योजना; आम आदमी बीमा योजना; राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। इस सबों में देखा जाए तो सबसे बड़े रिस्क कवरेज वाली योजना है; राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना तथा आम आदमी बीमा योजना जिनका सबसे महत्वपूर्ण कवरेज है (labour.gov.in), जो कि इस प्रकार है :

1. सरकार ने असंगठित क्षेत्र में गरीबी रेखा से नीचे के परिवार (पाँच की इकाई) को 30,000 रु का स्मार्ट कार्ड आधारित कैशलेस स्वास्थ्य बीमा का सुरक्षा प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आरएसबीवाई) की शुरूआत क्रिया है। बी. पी. एल. परिवारों के अलावा आरएसबीवाई को भावन और अन्य सन्निर्माण श्रमिकों, लाइसेंस युक्त रेलवे पोर्टरों, श्रमिकों, जिन्होनें माहात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गरांटी अधिनियम (मनरेगा) के अंतर्गत पंद्रह दिनों से अधिक कार्य किया है, बीड़ी कामगारों, घरेलू कामगारों, सफाई कामगारों, खान श्रमिकों, रिक्शावालों, कचरा बीनने वाली आदि पर भी लागू की गई है (labour.gov.in)।
2. गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) असंगठित श्रमिकों के लिए बीमा सुरक्षा प्रदान करने के लिए 02.10.2007 को आम आदमी बीमा योजना (एएबीवाई) किया गया था। योजना के अंतर्गत घायल श्रमिकों को निःशक्त के स्वरूप के आधार पर बीमा राशि के रूप में 75,000 रु तक का बीमा लाभ दिया जाता हैं (labour.gov.in)।
3. सरकार इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना लागू कर रही है। जिसका पात्रता का मानक संशोधित करकें विस्तार किया है। 60 वर्ष की आयू से उपर और गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले सभी नागरिक इस योजना के अंतर्गत लाभ के हकदार है। 80 वर्ष के उपर की आयू के व्यक्तियों के लिए पेंशन की राशि 200 रु से बढ़ाकर 500 रु प्रति माह किया गया है (labour.gov.in)।
4. केन्द्र सरकार ने असंगठित कामगारों को अपनी सेवानिवृत्ति के लिए नई पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के अंतर्गत बचत करने हेतु प्रोसाहित करने के लिए 26.09.2010 को एक सह–अंशदायी पेंशन योजना ''स्वावलम्बन'' शुरू किया है। सरकार प्रत्येक योग्य अंशधारक, जो ''स्वावलम्बन'' योजना के अतंर्गत न्यूनतम 1000 रूपये और अधिकतम 12,000 रूपये प्रतिवर्ष का सहायता के रूप में योगदान करता है (labour.gov.in)।

भारत में असंगठित क्षेत्र में कामगारों को कम वेतन, नियोक्ता का बुरा बर्ताव तो होता ही है। इसके साथ–साथ रहन–सहन का निम्न स्तर जैसे–''साफ–सफाई का अभाव एवं स्वास्थ्य सुरक्षा'' समाजिक सुरक्षा के साथ–साथ आर्थिक सुरक्षा का भी अभाव है। और गन्दी बस्ती में रहने को मजबूर है जहाँ पेयजल की समस्या एवं यातायात की समस्याएँ महत्वपूर्ण है। इन सभी विषयों को सरकार को देश की गरीबी कम करने के लिए इस क्षेत्र के माहिर लोग से बैठक करके गरीबी को कम करने के लिए ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है।

अध्ययन का उद्देश्य– इस शोध पत्र का मुख्य उद्देश्य असंगठित क्षेत्र का कानून और उनमें जागरूकता और उसके प्रभाव को जानना है। इस शोध पत्र मे प्राथमिक और द्वितीयक स्त्रोतों से प्राप्त आकड़ों में शामिल किया गया है। प्राथमिक आकड़े मुजफ्फरपुर नगर के मोतीझील के विभिन्न दुकानों से लिया गया है।

अध्ययन क्षेत्र एवं पद्धति– प्रस्तुत अध्ययन के लिए बिहार राज्य के मुजफ्फरपुर नगर का अध्ययन किया जा रहा है। मुजफ्फरपुर नगर से 50 कामगारों (उत्तरदाताओं) का चयन प्रस्तुत अध्ययन के लिए किया जायगा तथा अध्ययन विषय से संबंधित तथ्यों का पता उनसे साक्षात्कार कर अनुसची के माध्यम से किया जाएगा।

तथ्य विश्लेषण– अध्ययन क्षेत्र से चयनित किये गये उत्तरदाताओं से प्राप्त तथ्यों का विश्लेषण इस प्रकार है :

तालिका संख्या : 01

क्या आपको लगता है कि असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले कामगारों का आर्थिक/मानसिक शोषण भी होता है ? हाँ/नहीं

उत्तरदाता		हाँ		नहीं	
कुल सं०	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	नहीं	प्रतिशत
50	100	45	90	05	10

उपर्युक्त तालिका से यह स्पष्ट होता है कि पूछे गये प्रश्न क्या आपको लगता है कि असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले कामगारों का आर्थिक/मानसिक शोषण भी होता है तो कुल उत्तरदाताओं के 90 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने इस प्रश्न के सहमति में अपना जबाव दिया हैं जबकि कुल उत्तरदाताओं के 10 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने इस प्रश्न के असहमति में अपना जबाव दिया है।

तालिका संख्या : 02

क्या आपको लगता है कि असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत कामगारों को उनके लिए बनाये गये कानून के बारे में जागरूकता है ? हाँ/नहीं

उत्तरदाता		हाँ		नहीं	
कुल सं०	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	नहीं	प्रतिशत
50	100	32	64	18	36

उपर्युक्त तालिका से यह स्पष्ट होता है कि पूछे गये प्रश्न **क्या आपको लगता है कि असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत कामगारों को उनके लिए बनाये गये कानून के बारे में जागरूकता है,** तो स्पष्ट है कि कुल उत्तरदाताओं के 64 प्रतिशत ने इस प्रश्न के सहमति में अपना जबाव दिया है जबकि 36 प्रतिशत उत्तरदाताओं का कहना है कि ऐसा नहीं है।

I S S N NO. - 2347 – 2944 (Print)
e–I S S N NO.- 2582 – 2454 (Online)
Vol.-19, No.-II, Issues-36, YEAR-April-June. 2025

तालिका संख्या : 03

क्या आप ऐसा मानते हैं कि असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत कामगारों में अपने अधिकार के प्रति जागरूकता का अभाव होता है ? हाँ/नहीं

उत्तरदाता		हाँ		नहीं	
कुल सं०	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	नहीं	प्रतिशत
50	100	40	80	10	20

उपर्युक्त तालिका से यह स्पष्ट होता है कि पूछे गये प्रश्न क्या आप ऐसा मानते हैं कि असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत कामगारों में अपने अधिकार के प्रति जागरूकता का अभाव होता है, तो स्पष्ट है कि कुल उत्तरदाताओं के 80 प्रतिशत ने इस प्रश्न के सहमति में अपना जबाव दिया है जबकि 20 प्रतिशत उत्तरदाताओं का कहना है कि ऐसा नहीं है।

तालिका संख्या : 4

क्या आपको ऐसा लगता है कि असंगठित क्षेत्र में कार्यरत अधिकांश कामगारों में शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य समस्या देखी जाती है? हाँ/नहीं

उत्तरदाता		हाँ		नहीं	
कुल सं०	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	नहीं	प्रतिशत
50	100	44	88	06	12

उपर्युक्त तालिका से यह स्पष्ट होता है कि पूछे गये प्रश्न क्या आपको ऐसा लगता है कि असंगठित क्षेत्र में कार्यरत कामगारों में शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य समस्या देखी जाती है, तो स्पष्ट है कि कुल उत्तरदाताओं के 88 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने इस प्रश्न के सहमति में अपना जबाव दिया है जबकि 12 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने इस प्रश्न के असहमति में अपना जबाव दिया है।

तालिका संख्या :– 05

क्या आप ऐसा मानते हैं कि असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत कामगारों में संगठन का अभाव होने के फलस्वरूप वे अपने विरूद्ध होने वाली शोषणों के प्रति आवाज नहीं उठा पाती हैं ? हाँ/नहीं

उत्तरदाता		हाँ		नहीं	
कुल सं०	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	नहीं	प्रतिशत
50	100	50	100	00	00

उपर्युक्त तालिका से यह स्पष्ट होता है कि पूछे गये प्रश्न क्या आप ऐसा मानते हैं कि क्या आप ऐसा मानते हैं कि असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत कामगारों में संगठन का अभाव होने के फलस्वरूप वे अपने विरूद्ध होने वाली शोषणों के प्रति आवाज नहीं उठा पाती हैं तो स्पष्ट है कि कुल उत्तरदाताओं के 100 प्रतिशत ने इस प्रश्न के सहमति में अपना जबाव दिया है।

निष्कर्ष – सूचना एवं प्रसारण मत्रालय भारत सरकार के एक रिपोर्ट के अनुसार लगभग 92 प्रतिशत कामगार असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं और केवल 08 प्रतिशत ही सरकार के संगठित क्षेत्र में कार्य करते हैं (भारत सरकार, 2022)। हम यहाँ इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जहाँ इतनी न्यूनतम आय होगी वहाँ प्रायः ऐसे कामगारों की आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय होगी क्योंकि वे अपने साहूकार व प्रबन्धक वर्ग के आर्थिक कर्ज व अग्रिम भुगतान के नीचे दबा हुआ पाया जाता है। उनकी आमदनी इतनी नहीं होती है कि एक परिवार को सही से भरण–पोषण कर सकें, इसलिए उन्हें अग्रिम राशि कर्ज के रूप में लेनी पड़ती है। साहूकार व प्रबन्धक भी अग्रिम राशि देकर उन्हें उलझाना चाहते हैं जिससे कि वे वहाँ से कार्य छोड़ कर न जाय। ऐसे बहुत युवा व कामगार हैं जो आठ से दस हजार प्रतिमाह की नौकरी के लिए दस से बारह घण्टे कार्य करते हैं। इनके उपर दबाव इतना अधिक होता है कि वे आर्थिक शोषण के शिकार बने रहते हैं और इनका कोई संगठन नहीं होने के कारण ये अपनी बातों को कहीं भी रख पाने में भी असमर्थ है जिसका प्रभाव इनके शारीरिक स्वास्थ्य के उपर तनाव व अवसाद के रूप में देखने को मिलता है। प्रायः ऐसे कामगार निम्नलिखित समस्याएँ बनी रहती है : 1. कामगारों की आर्थिक स्थिति दयनीय,2. साहूकार, प्रबन्धक वर्ग के आर्थिक कर्ज में डूबे रहना, 3. अग्रिम भुगतान का भार होना, 4. कार्य छोड़ने के बाद दूसरा कार्य तुरन्त न मिलना (विकल्प का अभाव), 5. परिवार का भरण पोषण सही से न हो पाना, 6. कम आय और अत्यधिक कार्य भार, 7. महीना भर कार्य – छूट्टी का अभाव, 8. संगठन का अभाव, 9. कोई सरकारी योजना का लाभ नहीं, 10.कुछ प्रमुख कानूनों के बारें में जागरूकता का अभाव, 11. अत्यधिक कार्यभार के कारण स्वास्थ्य पर प्रतिकुल प्रभाव, इत्यादि।

अत्यधिक कार्यभार के कारण ऐसे कामगारों की उपरोक्त समस्याएँ बनी रहने के भी कुछ कारण हैं जो बेरोजगारी की मार के कारण कामगार इन बातों पर ध्यान नहीं देते हैं : 1) बिना नियुक्ति पत्र (Appointment Letter) के नौकरी योगदान (Join) कर लेना 2) नौकरी योगदान (Join) करते समय मूल प्रमाण–पत्र (Original Certificate) को देना 3) मालिक व प्रबन्धक के कहने पर सादे कागज में हस्ताक्षर करके दे देना 4) वेतन न मिलने पर लिखित मांग न करना 5) अपने काम से संबंधित रिकॉर्ड संभाल कर नहीं रखना। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अधिकांश कामगार आज अपने मालिक/प्रबन्धक वर्ग की शोषणीय प्रवृति को झेल रहे हैं। इसमें उनका शोषण ज्यादा होता है जो कम पढ़े–लिखे हैं। साथ ही इन्हें अपने हक और अधिकार की जानकारी भी नहीं होती है जिससे वे आगे की लड़ाई लड़ सकें व इसका विरोध भी कर सकें। श्रम न्यायालय के बारे में भी इन्हें जानकारी का अभाव है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. आहुजा, राम; सामाजिक अनुसंधान, रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर, 2005.
2. भारतीय, ओम प्रकाश; कमजोर वर्गों का समाजशास्त्र, विजय प्रकाशन मन्दिर, वाराणसी, 2011.
3. मिश्रा एवं मनोज, सामाजिक मुद्दे, रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर, 2016.
4. राहोन्दा, एफ० लेवाइन; क्लास स्ट्रगल एण्ड दि न्यू डिल : इन्डस्ट्रीयल लेबर, इंडस्ट्रीयल कैपिटल एण्ड दि स्टेट (स्ट्डीज इन हिस्टोरिकल सोशल चेंज), यूनिवर्सिटी प्रेस ऑफ कनास, 1988.
5. शाह, घनश्याम; (अ.: हरिकृष्णरावत), भारत में सामाजिक आन्दोलन संबंधित साहित्य की एक समीक्षा, रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर, 2009.
6. सचदेव, डी० आर०; भारत में समाज कल्याण प्रशासन, किताब महल पब्लिकेशन्स, इलाहाबाद, आठवाँ संस्करण, 2009.
7. योजना एवं कुरूक्षेत्र, मासिक पत्रिका, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली.
8. श्रम एवं संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार के बेबसाईट labour.gov.in